दिनांक : . .2023

प्रति,

मा. विधि एवं न्याय मंत्री,

भारत सरकार.

विषय : छत्रपति शाहू महाराजजी द्वारा दी हुई 3,500 करोड की भूमि हडप कर 'लैंड जिहाद' करनेवाला 'वक्फ कानून' निरस्त करने के संदर्भ में...

महोदय,

वर्ष 1925 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति संरक्षित करने हेतु 'वक्फ कानून' बनाया था; फिर वर्ष 1947 में भारत देश का धर्म के आधार पर विभाजन होने से सभी मुसलमानों को पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान दिया गया । इसलिए भारत में रह गई समस्त भूमि एवं संपत्ति वास्तव में हिन्दुओं की है । तब भी स्वतंत्रता के उपरांत मुसलमानों की चापलूसी करनेवाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून में समय-समय पर सुधार करते हुए 'वक्फ बोर्ड'को अनेक पाश्विक अधिकार दे दिए । वर्ष 1995 एवं वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने इस कानून में हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई इसप्रकार सभी धर्मियों की कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में घोषित करने के भयानक एवं असीमित अधिकार दिए । इस कानून का दुरुपयोग कर देशभर में भूमि हथियाने का 'लैंड जिहाद' षड्यंत्रपूर्वक चल रहा है । भारतीय सेना दल के पास सर्वाधिक 18 लाख एकड भूमि एवं भारतीय रेल के पास 12 लाख एकड भूमि है । इन दोनों के उपरांत देश में तीसरी सर्वाधिक भूमि 'वक्फ बोर्ड'के पास ही है । वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास स्वयंकी देशभर की 8 लाख एकड से भी अधिक भूमि है । यह यदि ऐसे ही चलता रहा, तो कुछ वर्ष में भारत की सर्वाधिक भूमि 'वक्फ बोर्ड'की हो चुकी होगी और पुन: भारत के भीतर नए पाकिस्तान का निर्माण होगा ।

वर्ष 1906 में राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में मुसलमान समाज के शैक्षिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए दशहरा चौक पर 'मुस्लिम बोर्डिंग'की स्थापना की । उनके उत्पन्न के लिए रुकडी, कसबा-बावडा परिसर में भूमि दी गई थी । इस उत्पन्न से मिलनेवाले पैसों का 'मुसलमान, इसके साथ ही अन्य समाज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) देने के लिए उपयोग किया जाए', ऐसा आदेश छत्रपति शाहू महाराज ने दिया था । अब 'वक्फ बोर्ड'के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.बी. ताशिलदार ने धर्मादाय आयुक्त को ऐसा आदेश दिया है कि 'द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी' के मूल कागदपत्र प्रस्तुत करें । इसलिए 'द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी' की लगभग 3,500 करोडों की मालमत्ता अब वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में आ जाएगी । इसलिए कोल्हापुर में पुन: एक बार रोष की लहर फैल गई है ।

*** इस गंभीर विषय के कुछ सूत्र हम आपके ध्यान में लाकर दे रहे हैं ...**

1. छत्रपति शाहू महाराज ने यह भूमि मुसलमान सहित अन्य समाज के विद्यार्थियों की शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के लिए दी है । वह पूर्णत: केवल मुसलमानों के लिए एवं धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं दी । ऐसा होते हुए भी वक्फ कानून का दुरुपयोग कर वह भूमि पूर्णरूप से हथियाने के गैरकानूनी प्रयत्न चालू हैं ।

2. छत्रपति शाहू महाराज द्वारा मुसलमानों सहित अन्य पिछडे समाज घटकों के लिए भी यह भूमि दी गई थी । इसलिए अन्य पिछडे समाज के विद्यार्थियों पर यह 'लैंड जिहाद'के कारण अन्याय होगा ।

3. 'द मोहामेडन एज्युकेशन सोसाइटी'के उपाध्यक्ष आदिल फरास ने वक्फ बोर्ड के इस गैरकानूनी प्रक्रिया का विरोध किया है । उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को इस भूमि की पंजीयन वक्फ के नाम करने से पहले वैसी नोटिस सोसाइटी को देनी चाहिए थी; परंतु वैसी कोई भी नोटिस हमें नहीं मिली । छत्रपति शाहू महाराजजी ने वह भूमि शैक्षिक प्रयोजन के लिए दी थी, इसलिए उसे स्वतंत्र रखना चाहिए । हम इस संदर्भ में चर्चा कर निर्णय लेनेवाले हैं ।

4. वक्फ बोर्ड ने इससे पूर्व भी अनेक प्रकरणों में सामान्य जनता की भूमि गैरकानूनी ढंग से हथियाने के प्रकरण सामने आए हैं । इसमें वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी एवं अधिकारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार सामने आया है । भारतीय जनता की भूमि उनके अपरोक्ष हथियाना, यह गंभीर अपराध है । यह अपराध करने की छूट 'वक्फ बोर्ड' को कानूनन मिल रही है । यह अत्यंत गंभीर बात है ।

5. करोडों रुपयों की उत्पन्नवाले किसी बडे मंदिर के व्यवस्थापन में अनियमितता ध्यान में आने पर सरकार तुरंत स्वतंत्र कानून बनाकर मंदिर का अधिग्रहण कर मंदिर की समस्त संपत्ति एवं व्यवस्थापन अपने नियंत्रण में ले लेती है । इसीप्रकार सरकार ने वक्फ बोर्ड के गैरकानूनी कृत्य के संदर्भ में 'वक्फ बोर्ड'के सभी पाश्विक अधिकार छीनकर उस पर सरकार का नियंत्रण लाना चाहिए ।

6. तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून द्वारा मुसलमानों की दी हुई शक्ति एवं कानूनी अधिकार हिन्दू, ईसाई, जैन, बौद्ध अथवा किसी भी गैरमुसलमानों को नहीं दिया । यह धार्मिक भेदभाव संविधानविरोधी है । संविधान के अनुसार कानून सभी के लिए समान होने चाहिए; परंतु यहां केवल एक ही धर्म के लिए विशेष कानून बनाया गया है । देश में सभी धर्मियों को समान व्यवहार एवं समान कानून होना चाहिए । यह कानूनी भेदभाव है ।

7. वक्फ कानून के कारण भारतीयों की संपत्ति कैसे हडप ली जा रही है, इसका सबसे बडा प्रमाण वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड भूमि थी, वही भूमि वर्ष 2023 में अर्थात 14 वर्ष में दुगुनी हो गई है । आज वक्फ के पास 8 लाख एकड भूमि है । इतनी भूमि वक्फ बोर्ड के पास कैसे आई ? इतनी मात्रा में वक्फ बोर्ड भूमि अधिग्रहित करते समय सरकारी तंत्र क्या कर रहाथा ? इस विषय में केंद्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए ।

8. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का तिरुचेथुरई, यह संपूर्ण गांव ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया गया है । यह धक्कादायक घटना कुछ माह पूर्व ही उजागर हुई है । अनेक पीढियों से गांव में रहनेवाले नागरिकों को अपनी ही संपत्ति पर से अधिकार गंवाना पडा है । इस तिरुचेथुरई गांव का 1500 वर्ष पूर्व का श्रीचंद्रशेखर स्वामी का मंदिर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गया है ! जो धर्म ही मूलत: 1400 वर्षों पूर्व ही अस्तित्व में आया, वह 1500 वर्षों पूर्व के हिन्दू मंदिर का मालिक कैसे हो सकता है । यह इस कानून का अत्यंत घातक परिणाम है ।

9. वक्फ कानून के कारण गुजरात में हिन्दुओं का द्वारका द्वीप, सूरत महानगरपालिका, प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क, ज्ञानवापी, मथुरा आदि अनेक स्थान इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का कुचक्र चालू है । अब इसमें छत्रपति शाहू महाराजजी द्वारा दी गई 3500 करोड रुपयों की भूमि का भी समावेश हो गया है । यह दुर्दैवी है ।

10. इस कानून में अत्यंत भयानक प्रावधान संक्षेप में आगे दे रहे हैं –

अ. वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति पर दावा करने के उपरांत उस संपत्ति का राज्य सरकार द्वारा सर्वे किया जाता है । उसमें मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति अथवा अन्य कुछ संदर्भ मिल जाएं, तो वक्फ बोर्ड को उसे 'वक्फ संपत्ति' के रूप में रजिस्टार के पास सीधे ही पंजीकृत करने का अधिकार है ।

आ. ऐसा करते हुए उस भूमि के मालिक को कोई भी पूर्वकल्पना देने की आवश्यकता नहीं ।

इ. दो महिनों में यदि भूमि के वास्तविक मालिक ने कोई आक्षेप नहीं लिया, तो वह संपत्ति सदा के लिए वक्फ बोर्ड की हो जाती है । यहां महत्त्वपूर्ण सूत्र यह है कि कोई भी पूर्वसूचना न मिलने पर 'अपनी भूमि हडप ली जा रही है', यही वास्तविक मालिक को पता न चलने से उसके आक्षेप लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ई. यदि कोई आक्षेप लेता भी है, तो आक्षेप लेनेवाला वक्फ बोर्ड को 15 दिन पहले सूचित करे, ऐसा भी प्रावधान इसमें है । जिससे आक्षेप को विफल करने के लिए बोर्ड को पूर्वतैयारी करने के लिए समय मिल जाता है ।

उ. आक्षेप लेनेवाला 'सिविल कोर्ट'में नहीं जा सकता; कारण वक्फ की संपत्ति से संबंधित सर्व वादविवाद 'वक्फ बोर्ड ट्रीब्यूनल'में ही चलाने का प्रावधान है । इसलिए इन प्रकरणों की सुनवाई 'सिविल कोर्ट'में नहीं होगी ।

अर्थात वक्फ बोर्ड भूमि हडपेगा, उसका परिवाद वक्फ से ही करना है, छानबीन भी वक्फ ही करेगा और निर्णय भी वक्फ ही देगा ! यहां न्याय सुविधाजनक ढंग से वक्फ बोर्ड के पक्ष में देने की व्यवस्था की गई है । यह न्यायालय के अधिकारों पर प्रहार एवं नागरिकों के मूलभूत संवैधानिक न्यायअधिकार छीन लिए जाने का प्रकार है ।

ऊ. वक्फ बोर्ड, यह इस्लामी संस्था होने पर भी उसके सदस्यों को वक्फ कानून के अनुसार सरकारी नौकर माना जाता है । ऐसी सुविधा अन्य धर्मियों को अथवा धार्मिक संस्थाओं के किसी भी सदस्य को नहीं । यह धार्मिक पक्षपात की चरम सीमा है ।

ऊ. वक्फ कानून की धारा 4, 5, 8, 9(1)(2)(A), 28, 29, 36, 40, 52, 54, 55, 89, 90, 101 एवं 107 ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 27 एवं 300A को उल्लंघन करनेवाली हैं, इसलिए इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी गई है ।

11. एक ओर हिन्दुओं के मंदिरों का सरकारीकरण कर मंदिरों की संपत्ति सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है, तो दूसरी ओर 'मुसलमानों की धार्मिक संस्था' द्वारा सरकार एवं नागरिकों की संपत्ति कानून का दुरुपयोग करते हुए हडप ली जा रही है । यह धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना पर प्रहार है और असंवैधानिक है ।

12. एक बडे षड्यंत्र द्वारा देशभर की भूमि हडपने का अत्यंत भयावह प्रकार वक्फ कानून के माध्यम से शुरू है । इसके कारण भारतीय नागरिकों के अर्थात बहुसंख्यक हिन्दुओं के घर, दुकान, खेती, भूमि एवं मंदिर भी सुरक्षित नहीं ।

13. कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, 'भारत की साधन-संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है' ; परंतु इस कानून ने 'पहला नहीं, अपितु देश के सभी नागरिकों की भूमि पर संपूर्ण अधिकार मुसलमानों को दिया है ।' ऐसा ध्यान में आता है ।

14. भारत में तथाकथित पंथनिरपेक्षता अर्थात 'सेक्युलरीजम' है, तब भी एक पंथ की धार्मिक संस्था को अन्य पंथियों की धार्मिक, साथ ही अन्य संपत्ति हथियाने का कानूनन अधिकार दिया जाना, इससे सेक्युलरीजम का काला चेहरा सामने आया है ।

इस भयानक विषय के संदर्भ में हमारी मांगें इसप्रकार है –

1. सामान्य जनता की भूमि हडपकर 'लैंड जिहाद' को प्रोत्साहन देनेवाला अन्यायकारी 'वक्फ कानून' तुरंत निरस्त करें ।

2. अब तक इस कानून का दुरुपयोग करते हुए जो-जो भूमि वक्फ बोर्ड ने अपनी घोषित की है, वह उस भूमि उसके वास्तविक मालिक को देने की व्यवस्था की जाए । उस भूमि पर से वक्फ बोर्ड का अधिकार पूर्णरूप से समाप्त कर दिया जाए ।

3. राजर्षि शाहू महाराजजी ने कोल्हापुर में शैक्षिक प्रयोजन के लिए दी हुई भूमि हडपने की वक्फ बोर्ड के कृत्य का शासन द्वारा तीव्र विरोध किया जाए और वक्फ बोर्ड के सर्व आक्षेप अमान्य किए जाएं । इस प्रकरण में सम्मिलित संबंधित शासकीय अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ।

4. देश में 'समान नागरी कानून' लागू कर अल्पसंख्यकों के नाम पर लागू की गई सभी विशेष सुविधा, कानून, आयोग, मंडल, शासकीय विभाग समाप्त कर सभी के साथ समान बर्ताव किया जाए ।

ये मांगें मान्य न होने पर 'वक्फ कानून'के विरोध में हमें तीव्र आंदोलन करना होगा ।

प्रतीक्षा में,

आपका विनम्र,